भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2308

जिसका उत्तर 21 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

नई कोयला खदानों का विकास

2308. श्री विनसेंट एच. पाला:

श्री डी. के. सुरेश:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2070 तक निवल शून्य लक्ष्यों के बावजूद 99 नई कोयला खदानों का विकास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर (जीईएम) के शोध के अनुसार, इन नई कोयला खदानों के विकास से संभावित रुप से 165 गांव और 87,630 परिवार विस्थापित हो सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में भारत में मौजूदा खानों में 36% कोयला क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी, हां। वाणिज्यिक नीलामी का चौथा दौर 16 दिसंबर, 2021 को शुरू किया गया था और 99 कोयला खानों की पेशकश की गई थी। खानें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों की थी। इन 99 कोयला खानों में से कुल 8 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नई खानों का विकास आवश्यक है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2030 तक कोयले की 1500 एमटीपीए मांग का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, कोयला खनन से उत्सर्जन कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर वनीकरण और आरई परियोजनाएं आदि।

(ख) और (ग) : नीलामी के चौथे दौर में नीलामी के लिए पेश की गई 99 कोयला खानों में से केवल 8 खानों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास राज्य सरकार के प्रचलित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) और (ड.) : कोयला खानों का प्रचालन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाता है और कोयला उत्पादन पर उस विशेष वर्ष के लिए, खासतौर पर पूर्व-पीआरसी प्राप्ति चरण में और समापन से पहले टैपरिंग के दौरान, खनन योजना में दिए गए स्तर की तुलना में नजर रखी जाती है। कोयला खानें खनन योजनाओं के अनुसार औसतन इष्टतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 5 वर्षों के औसत को ध्यान में रखते हुए, सीआईएल का समग्र प्रणाली क्षमता उपयोग लगभग 80% के करीब है। खान योजना के अनुसार एससीसीएल का क्षमता उपयोग लगभग 82-90% और एनएलसीआईएल का क्षमता उपयोग लगभग 85% - 100% के करीब रहा है। जबकि खान के अभी तक पूर्व-पीआरसी चरण में होने पर पीआरसी के साथ खान के उत्पादन की समय से पहले तुलना करना किसी को भी यह मानने के लिए भ्रमित कर सकता है कि क्षमता का कम उपयोग किया गया है।

****